राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.4(9)कृषि / ग्रुप–2 / 2009 / (नीति 2010)   दिनांक 20 जनवरी, 2012

आज्ञा

विभागीय समसंख्यक आज्ञा दिनांक 09 जुलाई 2010 एवं संशोधित आज्ञा दिनांक 18 जनवरी 2012 के द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 के नियम 56(ए) के उप नियम (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निजी मण्डी अनुज्ञप्तिधारक को निजी मंडी के रखरखाव एवं विकास हेतु निजी मंडी से संग्रहित होने वाले मण्डी शुल्क की राशि में से 20 प्रतिशत राशि संदाय किये जाने की आज्ञा जारी की गयी थी ।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 के नियम 2 (xiii) में प्राईवेट सब ई–मार्केट को निजी सब मार्केट यार्ड की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त नियम 1963 के नियम 56(बी) के तहत स्थापित प्राईवेट सब ई–मार्केट के अनुज्ञप्तिधारक को भी प्राईवेट सब ई–मार्केट में संग्रहित होने वाले मण्डी शुल्क की राशि में से 20 प्रतिशत राशि संदाय किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल के आदेश से,

(अनिल गुप्ता)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय

क्रमांकः निकृवि / नियमन / कृ.प्र.प्रो.नीति / 10 / 47750-891   दिनांकः 2/2/12

राज्य सरकार से प्राप्त आज्ञा दिनांक 20.1.12 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. समस्त क्षेत्रीय उप / सहायक निदेशक,कृषि विपणन विभाग।
2. समस्त सचिव,कृषि उपज मण्डी समिति।
3. मै. एनसीडीईएक्स स्पॉट एक्सचेन्ज लि., आकृति कॉरपोरेट पार्क, एलबीएस रोड, कन्जूर मार्ग(वेस्ट), मुम्बई–400078।
4. मै. नेशनल स्पॉट एक्सचेन्ज लि., 102ए, लैण्डमार्क, सुरेन रोड, चकला, अन्धेरी(ईस्ट), मुम्बई–400093
5. मै. रिलायन्स स्पॉट एक्सचेन्ज इन्फास्ट्रक्चर लि., 8वां माला, आर–टेक आईटी पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव ईस्ट, मुम्बई–400063

अति. निदेशक
कृषि विपणन